न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र बाड़मेर ग्रामीण

प्रार्थीगण

1 श्री अशोक पुत्र पनाराम 2 दयाल पुत्र पनाराम 3 कानाराम पुत्र पनाराम 4 श्रीमती तीजो पत्नी पनाराम जातियान जटिया निवासी जटियों का पुराना वास शिव मंदिर के पास बाड़मेर तहसील एवं जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

आयुक्त नगर परिषद् बाड़मेर तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या–10 / 2018

दिनांक–21.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर शहर पटवार क्षैत्र बाड़मेर शहर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1684 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नंबर 3383 / 1685 रकबा 7.10 कुल रकबा 8.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500 / – अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2021 / 6081 – 6084 दिनांक– 21/10/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर शहर तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री **अशोक पुत्र पनाराम वगैराह** जाति जटिया निवासी जटियों का पुराना वास शिव मंदिर के पास बाड़मेर तहसील एवं जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण आयुक्त नगर परिषद् बाडमेर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर